UPSEC/R/P/20/000063

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/29/2019-20 03 सितंबर, 2020

सेवा में,

श्री जगदीश चन्द्र आर्य,
वरिष्ठ नागरिक
गेठिया पड़ाव-263127
वाया ज्योलीकोट, नैनीताल।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने 17.08.2020 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 22.08.2020 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. सं. 46एफ 276484 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत डाक विभाग, भारत सरकार के विषय में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस सचिवालय से संबंधित नहीं है। आपके द्वारा मांगी गई सूचना डाक विभाग, भारत सरकार से संबंधित है। आपको सलाह दी जाती है कि आप उक्त विषय में सीधे डाक विभाग, भारत सरकार के जन सूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

अत: आपका पत्र मूल रूप में आपको लौटाया जा रहा है। आशा है आप स्थिति से अवगत होंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST
19/9/20

पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित

R. T. I. अनुरोधकर्ता :- सेवा में RTI No. 29

बगदाम चन्द "आर्य"
वरिष्ठ नागरिक
गेठिया पड़ाव (गेठिया) 263127
वाया—ज्योलीकोट (नैनीताल)

Vice President's Secretariat
Dy. No. 6
Date 22/1/20
New Delhi

अत्यन्त आदरणीय एवं
महामहिम श्रीमान उपराष्ट्रपति
महोदय (भारत)
राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली

विषय :- कृपया सलग्न पोस्टल ऑर्डर संख्या 46F 276484 दिनांकित 16/05/2020 कीमती दस रुपयों का प्राप्त करें तथा चाही गयी (निम्नलिखित) R. T. I. सूचनायें पंजीकृत डाक से इस अनुरोधकर्ता को शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें।

अत्यन्त आदरणीय महोदय

अत्यन्त आदर सहित विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषय के अन्तर्गत R. T. I. सूचनायें सीधे अपने कार्यालय से इस अनुरोधकर्ता को भेजने की कृपा करें :-

(1) कृपया केन्द्रीय न्यायाधिकरण (C. A. T.) लखनऊ के जजमैन्ट आदेश O. A. 464 दिनांकित 03/03/1998 को रिकर करने की कृपा करें जिसके अन्तर्गत उस अनुरोधकर्ता को भारतीय डाक विभाग से H. S. G. सेकिण्ड तथा H. S. G. वन (प्रथम) प्रदान किये गये थे जिनकी पालना (कम्पलाइन्स) तीन (3) महीनों के अन्तर्गत करने की डाक विभाग की बाध्यता के आदेश थे परन्तु डाक विभाग के तथ्यकथित रिस्पोंडेन्टस द्वारा वर्ष 1998 में H. S. G. सेकिण्ड दे दिया गया था परन्तु H. S. G. वन (प्रथम) के देय एरियर्स तब से लेकर आजतक अर्थात 22 वर्षों से भी ज्यादा का समय नौन कम्पलाइन्स करते हुए रिस्पोंडेन्टस C. P. M. G. U. P. लखनऊ लगायत तत्कालीन प्रवर डाक अधीक्षक नैनीताल तथा कालॉन्तरीय C. P. M. G. U. K. देहरादून एव कालॉन्तरीय प्रवर डाक अधीक्षक नैनीताल द्वारा तब से लेकर आजतक H. S. G. वन के तथाकथित देय एरियर्स का भुगतान न करके न्यायालय के आदेश की भारी अवमानना करी गयी हैं।

P. T. O.

क्रमशः - अर्थात अवमानना करने वाले प्रत्येक डाक अधिकारियों पर समुचित कार्यवाहियाँ करने की कृपा की जाय तथा मुख्यतया तत्कालीन प्रवर डाक अधीक्षक नैनीताल से लेकर कालान्तरीय प्रत्येक प्रवर डाक अधीक्षक नैनीताल वगैरह - वगैरह पर सुसमुचित जिम्मेदारियाँ फिक्स करते हुए कानूनी कार्यवाहियाँ आखिरकार कबतक करने की कृपा करेंगे ?.?.?. कृयमा आदरणीय कैट लखनऊ से जजमैन्ट आदेश O.A. 545 दिनांकित 03/03/1998 की प्रतिलिपि तलब करवाने की कृपा कितनी शीघ्रता से करने की कृपा करेंगे ?.?.

सलग्नक एक
पोस्टल ऑर्डर (यथोचित)

अत्यन्त आदर सहित निवेदित

दिनांक 17/08/2020

[illegible] "[illegible]"
[illegible] नागरिक
गौठिया पड़ाव (गौठिया) 263127
[illegible] (नैनीताल)